

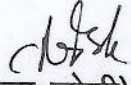
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)एस-143/92/अलेसे -III/3966-70 दिनांक :- 23.6.14.

आदेश

श्री सोहन लाल कुमावत, कनिष्ठ लेखाकार (लिक नं0 5494) आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय कोषालय पाली का दिनांक 24.05.2014 को स्वर्गवास हो जाने के कारण इन्हे दिनांक 24.05.2014 से कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग से पृथक किया जाता है।

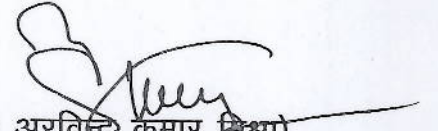
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुमावत के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम- 1958 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित/विचाराधीन नहीं है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)एस-143/92/अलेसे -III/3966-70 दिनांक :- 23.6.14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त निदेशक (जांच) कार्यालय हाजा।
2. कोषालय पाली को उनके पत्र क्रमांक कोष/संस्था/14-15/826 दिनांक 30.05.2014 के क्रम में भेजकर लेख है कि स्व0 श्री सोहन लाल कुमावत की पत्नी अथवा अन्य आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं की (प्रति सलग्न) पूर्ति सहित इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
3. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा
4. निजी सहायक निदेशक महोदय
5. डीपीसी/पदस्थापन/वरिष्ठता सीट
6. निजी पत्रावली


(डा0 अरविन्द कुमार मिश्रा)
अति. निदेशक (कार्मिक-II)